ANNEXURE-3

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)

क्रमांक प. 10(698) परि/स.सु./2015/पार्ट VI B | 1183 दिनांक :– 21/01/19

1. अति. महानिदेशक पुलिस (यातायात) राजस्थान, जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (एन.एच.), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,राजस्थान, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी.सी., जयपुर।
8. मुख्य महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय अधिकारी,एन.एच.ए.आई. राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,डी.सी.एम,अजमेर रोड, जयपुर।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रिडकोर, जयपुर।

विषय :– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देश (12/2018/CoRS dated 26.09.2018) की पालना में प्रत्येक प्राणघातक/गंभीर किस्म की दुर्घटना के इन्वेस्टीगेशन के लिए संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किए जाने के संदर्भ में।

सन्दर्भ :– माननीय उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति का पत्र क्रमांक 12/2018 /CoRS dated 26.09.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) के बिन्दु संख्या 2(iii) के क्रम में लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति ने निम्न निर्देश प्रदान किए हैं :– As required under section 135 of Motor Vehicle Act, 1989, every road accident involving death or major injury should be scientifically investigated by a team comprising of a representative each from the Department of Transport, Police and PWD.

अतः थानाधिकारी प्राणघातक/गंभीर किस्म की चोट वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं की सूचना तत्काल जिला परिवहन अधिकारी तथा संबंधित रोड ओनिंग एजेन्सी को देगा एवं तीनों विभाग के अधिकारी समन्वय स्थापित कर ऐसी सड़क दुर्घटनाओं में संबंधित परिवहन विभाग का अधिकारी (DTO/ DTO द्वारा नामित), थाना प्रभारी तथा संबंधित रोड ओनिंग/मैनेजिंग एजेन्सी के अभियंता घटना स्थल के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुसंधान हेतु संयुक्त निरीक्षण करेंगे तथा उक्त संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का उपयोग पुलिस अधिकारी न्यायालय में पेश होने वाली रिपोर्ट में कर सकेगा एवं दुर्घटना के कारणों के निवारण हेतु संबंधित विभाग तथा जिला सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को भेजी जावेगी जिसके आधार पर दुर्घटना स्थल पर पाई गई कमियों को दुरूस्त करवाया जाएगा।

इसकी पालना रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा 31.03. 2019 तक चाही गई है। अतः इस संबंध में आपके विभाग के संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों को पालना करने हेतु निर्देश जारी कर उसकी प्रति इस कार्यालय की ई–मेल आईडी – addl.rs.tdr@rajasthan.gov.in पर भिजवाने का श्रम करें ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
अति. मुख्य सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

क्रमांक प. 10(698) परि/स.सु./2015/पार्ट VI B | 1184–1185 दिनांक :– 21/01/19

प्रतिलिपि : – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त जिला कलक्टर
2. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी एवं प्रभारी, जिला सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ।

उप परिवहन आयुक्त (...)